न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश वैर, जिला-भरतपुर(राज०)

पीठासीन अधिकारी - मोहित द्विवेदी, आर०जे०एस०
(डी०जे० कैडर)

विविध फौजदारी प्रकरण सं० : 69/2024
सी.आई.एस. नंबर : 60/2024

(1) दीपक पुत्र रतन, आयु 38 साल,
(2) सुनील पुत्र रतन, आयु 35 साल,
(3) कृष्णा पुत्र संजीत, आयु 20 साल,
(4) सन्नी हरिजन पुत्र दीपक कुमार, आयु 21 साल,
निवासीगण निठार, पुलिस थाना भुसावर, जिला-भरतपुर (राज०)

---प्रार्थीगण/आरोपीगण

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, वैर(राज०)

---अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा **439 दण्ड प्रकिया संहिता**
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या-**595/2023 पुलिस थाना भुसावर**
सेशन प्रकरण सं०-14/2024, वउनवानी सरकार/दीपक कुमार वगै०
अपराध अन्तर्गत धारा **323,341,504,506,302,325,34 भा०दं०सं०**

उपस्थित-

1. श्री मानसिंह धाकड़, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से उप०।
2. श्री गुटयारी सिंह, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से उप०।

::-आदेश-::

दिनांकः20.04.2024

प्रार्थीगण/आरोपीगण दीपक, सुनील, कृष्णा, सन्नी की ओर से प्रस्तुत जमानत के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 437 दं०प्र०सं० विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भुसावर द्वारा दिनांक 09.02.2024 को खारिज किये जाने पर उनकी ओर से उक्तानुसार जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया सुनीता ने एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने देवर नैमी के उपस्थित थाना

होकर इस आशय की पेश की, कि दिनाँक 01.11.2023 को समय करीब शाम 8:30 बजे की बात है। हम अपने घर पर अपना घरेलू कार्य कर रहे थे तो इतने में एक राय मशविरा होकर हाथों में लाठी, डण्डा, फरसा तथा अवैध हथियार लेकर मेरे घर के अन्दर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सुनील, दीपक, सोमा, रामश्री, सोनम, इन्द्रा, सनी, कृष्णा, राकेश ने मेरे घर के अन्दर घुस कर हम पर हमला बोल दिया तथा सुनील ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे जमीन चौक में पटक दिया तथा मेरे जेमने हाथ को कलाई के ऊपर खा गया और खून निकल आया तथा जान से मारने की नियत से दीपक ने मेरा गला दोनों हाथों सें भींच दिया, जिससे गले में दर्द है तथा छाती पर पैर रख दिया तथा सुनील ने मेरी साडी को खींच कर मुझे उघारी कर दिया, जिससे मैं बेअदब हो गई तथा सोना ने मेरे खैरे हाथ की कलाई में लाठी मारी, जिससे कलाई में सूजननुमा चोट आ गई तथा दूसरा डण्डा सिर में मारा, जिससे सिर में चोट आ गई तथा सभी ने मेरे साथ मारपीट की, जिससे शरीर पर काफी अन्दरूनी चोट आ गई। मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले मुझे बचाने लगे तो नेमी के खेरे हाथ की कलाई में लाठी दीपक ने मारी, जिससे कलाई टूट गई। दूसरी लाठी पीठ में मारी तथा पूजा के राकेश ने सिर में फरसा मारा, जिससे सिर फट गया तथा कृष्णा, सोनम ने मेरी पुत्री पूजा को नीचे पटक लिया और लाठी, डण्डों के ठुसीकों से अधमरी सी कर दी। सुनील ने मेरे पति पप्पू की खेरी आँख पर लाठी का ठुसीका मारा, जिससे आँख फूट गई। दीपक ने पप्पू के जैमने कान पर डण्डा मारा, जिससे कान के नीचे फट गया। मेरे पुत्र पिन्टू के दीपक ने लाठी मारी, जो छाती में लगी तथा दूसरी लाठी पेट में लगी तथा सभी ने मेरे पुत्र पिन्टू को नीचे पटक कर लात घूंसे व डण्डों से मारपीट की, जिससे कान कट गये तथा सिर में चोट आ गई तथा पेशाब व उल्टी में होकर खून निकल रहा है तथा सभी लोगों ने हमारे साथ मारपीट कर हमें अधमरा-सा कर दिया तथा उक्त लोगों से बड़ी मुश्किल से जान बची। उक्त लोगों ने हमारे घर में घरेलू सामान की तोड-फोड कर दी तथा हम भुसावर अस्पताल आये तो पिन्टू व पप्पू को भरतपुर अस्पताल के लिए रैफर कर दिया तथा पिन्टू को गंभीर चोट होने की वजह से भरतपुर से एसएमएस जयपुर के लिए रैफर कर दिया तथा उक्त लोग आये दिन हमारे साथ मारपीट करते है तथा जान से मारने की धमकी देते हैं तथा रामश्री मेरे जैमने पैर की तोडियाँ को बनियत चोरी करके तोड कर ले गई तथा दीपक ने पिन्टू की जेब में रखे दस हजार रूपये को चोरी करके निकाल ले गया तथा अभी पिन्टू मरणासन्न स्थिति में है, इत्यादि.....।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/आरोपीगण ने बहस के दौरान अपने जमानत प्रार्थना-पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया

है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/आरोपीगण को पुलिस थाना भुसावर से मिलकर परिवादी पक्ष ने झूंठा फंसाया है। प्रार्थीगण/आरोपीगण ने पिन्टू के साथ मारपीट नहीं की है बल्कि वह शराब पीकर पत्थरों से गिरने से उसके चोटें आई हैं। प्रार्थीगण/आरोपीगण पर झूंठे आरोप लगाये हैं। प्रार्थीगण/आरोपीगण के विरूद्ध पूर्ण अन्वेषण होकर आरोप-पत्र पेश हो चुका है तथा अब कोई भी बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/आरोपीगण अपने पते के स्थायी निवासी हैं, जिनके मफरूर होने की कोई आशंका नहीं है। अतः प्रार्थीगण/आरोपीगण का जमानत का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/आरोपीगण के विरूद्ध धारा 323,341,504, 506,302,325,34 भा०दं०सं० में न्यायालय में आरोप-पत्र पेश हो चुका है। हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण/आरोपीगण का अपराध में शरीक होना और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी उनके नामजद दर्ज होना पाया गया है। परिवादिया व अन्य गवाहान ने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में तहरीरी रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य देते हुए प्रार्थीगण/आरोपीगण द्वारा मारपीट किए जाने का उल्लेख किया है। धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों में भी परिवादिया ने तहरीरी रिपोर्ट की ताईद की है। प्रार्थीगण/आरोपीगण द्वारा लाठी, डण्डा एवं पत्थर से की गई मारपीट से मृतक पिन्टू की हत्या हुई हैं एवं अन्य परिवारीजन के भी साधारण एवं गंभीर प्रकृति की चोटें आई हैं, वह लाठी, डण्डा एवं पत्थर भी प्रार्थीगण/आरोपीगण की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला पर उनके रिहायशी घरों से बरामद हो चुके हैं। प्रार्थीगण/आरोपीगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का रहा है। पत्रावली पर प्रार्थीगण/आरोपीगण के आपराधिक रिकॉर्ड की सूची उपलब्ध करवाई गई है, जो निम्न प्रकार से हैः-

<u>प्रार्थीगण/आरोपीगण का आपराधिक रिकॉर्ड</u>

क्र. सं.	प्रथम इत्तिला रि० सं.	पुलिस थाना	न्या० केस नं०	अंतर्गत धारा	प्रथम इत्तिला रि० दर्ज होने की दिनांक	स्टेटस(दोषसिद्ध/दोषमुक्त जैर विचारण)	गिरफ्तारी की दिनांक	रिहा होने की दिनांक
.....निल....								

6. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी

किए बिना न्यायालय इस स्तर पर प्रार्थीगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता है।

7. फलतः प्रार्थीगण/आरोपीगण (1) दीपक पुत्र रतन आयु 38 साल, (2) सुनील पुत्र रतन आयु 35 साल, (3) कृष्णा पुत्र संजीत आयु 20 साल, (4) सन्नी हरिजन पुत्र दीपक कुमार आयु 21 साल निवासीगण निठार पुलिस थाना भुसावर जिला-भरतपुर (राज०) की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मोहित द्विवेदी)

8. आदेश आज दिनांक 20.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मोहित द्विवेदी)